

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 08.01.2026

::अधिसूचना::

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली, सलूमबर को अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

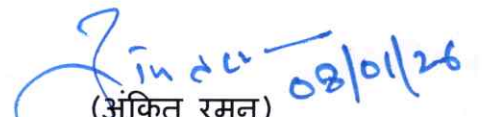
राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, सलूमबर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव